

अरविन्द सिंह हुयादी,
मन्त्र-संयोजक
राज्यराज्य शासन

प्रमुख अभियन्ता,
लीक निर्माण विभाग
देहरादून

DOI: 10.1002/eqe.2

पेहरादून दिनांक: 29 जनवरी 2014

वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 32 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

[illegible]

श्रीमान सीएचपी के आधार पर विभाग द्वारा संमस्त प्रक्रियात्मक कार्य को सम्पन्न रूप में पूर्ण किया जायेगा।
समाप्त शरणादेश सं०- 1764 / 10(2)/10-17(समान्य)/2008 दिनांक 17 जून 2010 की व्यवस्थानुसार
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने क उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

अवगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को दर निर्धारण आर्गन साइट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, ली स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में कटौत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत विवरण तैयार करते समय किया जायेगा।

कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के निदेशों के अनुसार ही कार्यों को सम्पादित कराते समय प्राप्ति करना सुनिश्चित करें।

महोदय, मैं अपने माता-पिता को रातों रातों-से घर से हटाकर कुली मनु में बिठा दिया। उनके माता-पिता कुली में मर गए। मरवाए गए।

— स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड इन्वेंटोरमेंट सल्ट्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर रीट सल्ट्स दिशा निर्देशों का कार्याई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

सूचना, राधिव, उत्तराखण्ड शासन क शासनादेश सं- 2047 / XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा
गैर आवासीय क कर्ष करार समय या आगमन गठित करार समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1. कानपुर शरीर स्थित आराम के लिए एम.पी.ए. और अधिग्रहण, यूटिलिटी रिपिटिंग आदि सेवाओं के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष अनुदान राशि-20 अर्थात् राशि-5054 के रूप में सेवा सतर्कों पर संवीक्षण प्रक्रियाओं के निष्पत्ति के आधार पर

P.C. A Hosted

Assistant Engineer
Division PWD

549 / 11182 / 14-49/प्रान्त/आ/2013 दिनांक 29 जनवरी 2014

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्मारीसौंड के अन्तर्गत चिन्मारीसौंड जोगवा मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.50	20.81 (5.85 + 14.96 उत्तरखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराई जाने वाले कार्य)	0.10
जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकासखण्ड डुण्डा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 84 सिलकधार (शिवगुफा) से नंजगाव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	5.00	119.65 (32.85 + 86.80 उत्तरखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराई जाने वाले कार्य)	0.10
जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत गौनाम मोटर मार्ग से पर्यासरी होते हुए ब्रह्मखाल-जुणगा मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण एक 24 मी० स्थान स्टील गर्डर सेतु सहित	5.00 + 24 m	89.93 (30.53 + 59.40 उत्तरखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराई जाने वाले कार्य)	0.10
जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड नौगाव के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में गंगडाडी से पटारगंगी होते हुए बरसाली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	7.00	63.11 (40.91 + 22.20 उत्तरखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराई जाने वाले कार्य)	0.10
जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत भालना से लोहू मोटर मार्ग का सुधार एवं ठामनीकरण का कार्य।	2.00	0.34	0.10
जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकासखण्ड- जौनपुर में धान-किट्ट कुण्ड खण्डा की बेली खनेरी मोटर मार्ग का निर्माण।	9.00	70.65 (52.65 + 18.00 उत्तरखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराई जाने वाले कार्य)	0.10
जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जामेश्वर के अन्तर्गत चापखान-शुवासिन्गल मोटर मार्ग के कि०मी० 5.00 से उटेश्वर महादेव मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3.00	23.45 (17.55 + 5.90 उत्तरखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराई जाने वाले कार्य)	0.10
जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जामेश्वर के अन्तर्गत तोली (मनिआगर)-नैचून मोटर मार्ग का ग्राम बतौली तक विस्तार का कार्य।	3.00	22.98 (17.55 + 5.43 उत्तरखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराई जाने वाले कार्य)	0.10
जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जामेश्वर के अन्तर्गत दन्या-डसीली मोटर मार्ग से ग्राम गौली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	2.00	15.32 (11.70 + 3.62 उत्तरखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराई जाने वाले कार्य)	0.10
योग-	154.30 + 05	1264.32	3.20

Photo Copy attached

(कुल १ तीन लाख मात्र हजार मात्र)

[Signature]

Assistant Engineer
Construction Division PWD
Uttarakashi

(गहिरा)
अनु सचिव